प्रेस नोट दिनांक 04.08.2019 थाना बरहन जनपद आगरा।

थाना बरहन पुलिस ने, स्वयं का अपहरण कराकर फिरौती बसूलने वाले अभियुक्त व उसके तीन साथियों को किया गिरफ्तार

दिनांक 01.08.2019 को थाना बरहन जनपद आगरा पर वादी श्री गंगा प्रसाद पुत्र स्वर्गीय मुरलीधर निवासी नगला धौकल (खांडा) थाना बरहन जनपद आगरा द्वारा अपने पौत्र रविकांत पुत्र पुरुषोत्तम निवासी उपरोक्त के गुम हो जाने के संबंध में अवगत कराया कि मेरा पौत्र रोमसन्स कम्पनी नुनहाई आगरा में मजदूरी पर कार्य करता था और दिनांक 31.07.2019 से वापस घर नहीं आया है। इस सूचना पर थाना बरहन जनपद आगरा पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज कराई गई। दिनांक 02.08.2019 को वादी उपरोक्त थाना आकर अवगत कराया गया कि दिनांक 01.08.2019 को सांय करीब 07:45 बजे 8445088729 नंबर से 8279954520 पर फोन आया और 05 लाख रूपये की फिरौती की मांग की गई। उक्त सूचना पर दिनांक 02.08.2019 को वादी की तहरीर पर मु0अ0सं0 152/2019 धारा 364ए भा.द.वि. अज्ञात पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के अनावरण व अपहृत रविकान्त उपरोक्त की सकुशल बरामदगी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के आदेश निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी व क्षेत्राधिकारी एत्मादपुर जनपद आगरा के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बरहन द्वारा टीम गठित की गई।

इसी क्रम में गठित टीम द्वारा सूचना संकलन के माध्यम के दौरान मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की थाने पर पंजीकृत अपहरण के मुकदमे में अपहृत रविकांत उपरोक्त एत्मादपुर में सतौली मोहल्ला रेलवे लाइन की तरफ नंदू के मकान में रह रहा है। अगर जल्दी की जाए तो बरामद किया जा सकता है। इस सूचना पर गठित पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश देकर अपहृत उपरोक्त व उसके 03 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों व अपहृत रविकांत उपरोक्त ने बताया कि यह अपहरण की साजिश स्वयं रविकांत ने रची थी, जिसने बताया कि क्रिकेट आईपीएल खेलों के दौरान रविकान्त पर काफी कर्जा हो गया था, जिससे स्वयं का अपहरण कर घर वालों से पैसा वसूलने के लिए अपने साथियों के साथ साजिश रची गई थी। उक्त गिरफ्तारी के सम्बंध में थाना पर पंजीकृत मकदमा उपरोक्त में **धारा 364ए का लोप कर धारा 193/195/211/120बी भा.द.वि. बृद्धि की गयी।**

- **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :–**

01. अपहृत रविकान्त पुत्र पुरुषोत्तम निवासी नगला धौकल (खांडा) थाना बरहन जनपद आगरा उम्र करीब 26 वर्ष।

02. डोरीलाल पुत्र रघुवीर सिंह निवासी मौहल्ला सतौली बघेलाल थाना एत्मादपुर जनपद आगरा उम्र करीब 23 वर्ष।

03. दीपक पुत्र रामवीर निवासी निवासी मौहल्ला सतौली बघेलाल थाना एत्मादपुर जनपद आगरा उम्र करीब 22 वर्ष।

04. गौरव पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी निवासी मौहल्ला सतौली बघेलाल थाना एत्मादपुर जनपद आगरा उम्र करीब 22 वर्ष।

- **बरामदगी का विवरण :–**

01. एक अदद मोबाइल फोन फौरमी कम्पनी की पैड, जिससे फिरौती की मांग की गयी।

02. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल टी0वी0एस0 स्पोर्ट रंग लाल सफेद रजि0 न0–यू0पी0 80 ईई 7649।

- **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :–**

01. थानाध्यक्ष विनोद कुमार थाना बरहन जनपद आगरा।

02. कां0 2857 मलखान सिंह, कां0 2511 पवन कुमार, कां0 28 रविकुमार, कां0 चालक शिवेन्द्र कुमार

मीडिया सेल आगरा पुलिस।